(22)

न्यायालय में श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर ﴾ मध्य- प्रदेश ﴿
खण्डपीठ- रीवा ﴾ म0 प्र0 ﴿ 247

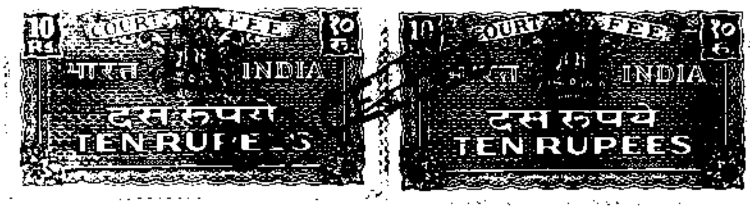

रामलखन पिता रामखेलन काछी साकिन- खुटार, तहसील

R 577-15/12 मानपुर जिला- उमरिया﴾म0प्र0﴿---------- निगरानीकर्ता/ आवेदक

ब नाम

म0प्र0 शासन राजस्व विभाग द्वारा-कलेक्टर

उमरिया, जिला- उमरिया﴾म0प्र0﴿ ---------- अनावेदक/उत्तरदाता

राजस्व निगरानी-

विरुद्ध निर्णय न्यायालय अपर कलेक्टर उमरिया जिला-उमरिया﴾म0प्र0﴿ बसिलसिले राजस्व प्र.क्र.-06/निगरानी/2011-12 आदेश दिनांक- 30.11.2011. जिसके द्वारा न्याया0 नायब तहसीलदार मानपुर द्वारा रा.प्र.क्र. 31 ए. 19﴾4﴿/88×89 में पारित आदेश दिनांक- 15.10.88 को निरस्त किया गया है।

निगरानी अंतर्गत धारा- 50 म.प्र. भू.रा. संहिता- 1959

अधिवक्ता श्री अंजनी कुमार सोनी द्वारा प्रस्तुत
27/2/2012

27/2/12

महोदय,

मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है, कि ग्राम-खुटार प0ह0 हल्का मानपुर तहसील-मानपुर जिला-शहडोल﴾म0प्र0﴿ वर्तमान जिला-उमरिया﴾म0प्र0﴿ स्थित आराजी खसरा नं.-194 रकबा 2.20 एकड़ निगरानी कर्ता के कब्जा दखल की आराजी जिस पर निगरानीकर्ता सन्-1984 के पूर्व से काबिज होकर काश्त करता रहा है के संबंध में कृषि प्रयोजन हेतु म0प्र0 ग्रामों की दखल रहित भूमि पर भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदाय किया जाना विशेष उपबन्ध अधिनियम 1984 के अंतर्गत बने नियमों के अनुसरण में भूमिस्वामी अधिकार न्यायालय नायब तहसीलदार मानपुर द्वारा रा.प्र.क्र.-31ए. 19﴾4﴿/88×89 आदेश दि0

...2,

(22)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक R577-II/12 जिला–उमरिया

रामललन काछी/ शासन म0प्र0

(1)	(2)	(3)
5-8-19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री अंजनी कुमार सोनी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला उमरिया के प्रकरण क्रमांक 06/स्व0 निगरानी/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 30.11.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त शहडोल संभाग शहडोल को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 23.10.19 को आयुक्त शहडोल संभाग शहडोल के समक्ष उपस्थित हो। (महेशचन्द्र चौधरी), सदस्य	